

प्रेस नोट थाना झंगहा दिनांक 23.03.2021

अवैध अपमिश्रित शराब व बनाने के उपकरण के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव/त्यौहार होली के मद्देनजर अवैध शराब निष्कर्षण/बिक्री पर पुर्णतया प्रतिबन्ध लगाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। उक्त निर्देश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष झंगहा के नेतृत्व एक सशक्त टीम गठित की गयी थी। उक्त टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 23.03.2021 को अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामवृक्ष 2. राजनाथ पुत्र रामवृक्ष निवासीगण राजी जगदीशपुर बाजार टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर को मय 70 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब व 3 किलोग्राम यूरिया व 2 किलो ग्राम नौसादर तथा अवैध शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया जिस पर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अं0सं0 93/2021 धारा 60/60(3) आबकारी अधि0 व 272 भादवि बनाम राजेन्द्र प्रसाद उपरोक्त व मु0अं0सं0 94/2021 धारा 60/60(3) आबकारी अधि0 व 272 भादवि बनाम राजनाथ उपरोक्त के पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामवृक्ष निवासी राजी जगदीशपुर बाजार टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. राजनाथ पुत्र रामवृक्ष निवासी राजी जगदीशपुर बाजार टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

70 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब व 3 किलो यूरिया व 2 किलो नौसादर व अवैध अपमिश्रित शराब बनाने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल-

1. एसओ संजय कुमार मिश्र
2. उ0नि0 आनन्द कुमार
3. उ0नि0 भूपेन्द्र कुमार तिवारी
4. का0 सुरेश सरोज
5. का0 विकास कुमार
6. का0 रत्नेश कुमार